न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निग/टीए/4963/2003/उदयपुर

1 अजय प्रतापसिंह पुत्र महेन्द्र प्रतापसिंह
2 उदय प्रतापसिंह पुत्र महेन्द्र प्रतापसिंह
3 श्रीमती कमला कुमार बेवा महेन्द्र प्रतापसिंह सभी जाति राजपूत निवासी जेवर तहसील खुरजा जिला बुलन्द्द शहर (उत्तर प्रदेश)

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार

अप्रार्थी

एकल पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री विरेन्द्रसिंह राठौड वकील प्रार्थीगण
श्री शिवप्रकाश चौधरी उप राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः..21.8.18

यह निगरानी धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 187/2002 में पारित निर्णय दिनांक 14.7.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर द्वारा पुराने सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत एक प्रकरण असेसी मृतक महेन्द्र प्रतापसिंह के विरूद्ध दर्ज कर असेसी के पास 27.92 स्टे0 एकड भूमि सीलिंग सीमा से अधिक मानते हुए अधिग्रहण करने का आदेश दिया। इसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो खारिज की गई। इसके विरूद्ध राजस्व मण्डल में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जो निर्णय दिनांक 19.4.79 से उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर को प्रति प्रेषित किया गया। उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर ने पुनः निर्णय दिनांक 22.5.2000 से असेसी के पास 27.92 स्टे0 एकड भूमि सीलिंग सीमा से अधिक मानते हुए अधिग्रहण किये जाने का आदेश दिया। इसके विरूद्ध भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के समक्ष

अपील प्रस्तुत की गई जो उनके निर्णय दिनांक 16.4.2001 से स्वीकार की जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर को प्रति प्रेषित किया गया कि असेसी महेन्द्र प्रतापसिंह के दोनों पुत्र अजय प्रतापसिंह एवं उदय प्रतापसिंह दिनांक 1.4.66 को बालिग थे अथवा नहीं, इसकी जांच कर पुनः निर्णय पारित करें। क्षेत्राधिकार परिवर्तन से यह प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, धरियावद को स्थानान्तरित किया गया। उपखण्ड अधिकारी, धरियावद ने निर्णय दिनांक 3.10.2002 से यह मानते हुए कि असेसी यह साबित करने में विफल रहा है कि दिनांक 1.4.66 को उसके दोनों पुत्र बालिग थे। अतः असेसी के पास 27.92 स्टे0 एकड भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होने से अधिग्रहण की जाने का आदेश दिया। इसके विरूद्ध भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो उनके निर्णय दिनांक 14.7.2003 से खारिज की गई। इससे व्यथित होकर प्रार्थीगण ने यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें असेसी मृतक महेन्द्र प्रतापसिंह के दोनों पुत्र जो कि निर्धारित तिथि 1.4.66 को बालिग थे का नोशनल शेयर हैं एवं वे बालिग होने से पृथक पृथक इकाई के बराबर भूमि रखने के अधिकारी हैं। अधीनस्थ न्यायालयों को राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण रिमाण्ड कर यही निर्देश दिये गये थे कि असेसी के पुत्र निर्धारित तिथि को बालिग थे के संबंध में जांच कर निर्णय पारित किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा इसे पूर्णतया साबित कराया गया है। प्रार्थीगण ने प्रधानाचार्य जनता इन्टर कालेज जेवर (गौतम बुद्ध नगर) यू.पी. द्वारा जारी छात्र सम्बन्धी पंजी तथा पृथकीय प्रमाण पत्र पंजी संख्या 457 की प्रति प्रदर्श ए–1, नगर पंचायत, जेवर द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र प्रदर्श ए–2, भारतीय जीवन बीमा निगम आगरा द्वारा जारी रशीद प्रदर्श ए–3 प्रस्तुत किये जिनमें अजय प्रतापसिंह की जन्म तिथि 1.1.46 दर्ज है। इन दस्तावेजी साक्ष्यों के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है एवं इन दस्तावेजों पर अविश्वास किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण नहीं बताया गया है। असेसी महेन्द्र प्रतापसिंह के दूसरे पुत्र उदय प्रतापसिंह की जन्म तिथि को प्रमाणित करने हेतु उनके नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र की प्रति प्रदर्श ए–4 एवं नगर पंचायत जेव का जन्म प्रमाण पत्र प्रदर्श ए–5 प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त दस्तावेजी साक्ष्यों से यह साबित है कि निर्धारित तिथि 1.4.66 को असेसी महेन्द्र प्रतापसिंह के उक्त दोनों पुत्र बालिग थे तथा वे प्रत्येक एक एक इकाई अलग से रखने के अधिकारी हैं। असेसी मृतक महेन्द्र प्रतापसिंह तीन इकाई के बराबर भूमि रखने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालयों ने 27.92 स्टे0 एकट भूमि सीलिंग सीमा से अधिक मानी है जो अनुचित है। साथ ही तर्क

दिया कि यह भूमि जागीर भूमि है तथा जागीर पैतृक रूप से प्राप्त थी। जागीर भूमि को पैतृक भूमि माना गया है तथा उस पर निर्भर नाबालिग का भी हिस्सा माना गया है। अपीलार्थी मूलतः राजस्थान के ही जागीरदार है अब उत्तर प्रदेश में भी रहते हैं। अपने इस तर्क के समर्थन में आर.आर.डी. 1992 पेज 107 की नजीर प्रस्तुत की तथा कथन किया कि भूमि सीलिंग सीमा के भीतर है। दोनों पुत्र पैतृक जागीर भूमि पर आश्रित थे। सीलिंग से अधिक भूमि मानी है जो अनुचित है। विधि अनुसार सही नहीं है। भूमि सीलिंग सीमा में ही है। अतः निगरानी स्वीकार की जावे। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्को के समर्थन में 1992 आर.आर.डी. पेज 107 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किया।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित भूमि असेसी महेन्द्र प्रतापसिंह के खातेदारी की भूमि है तथा निर्धारित तिथि को उनके पुत्र अजय प्रतापसिंह व उदय प्रतापसिंह बालिग नहीं थे। उनकी जन्म तिथि को साबित करने हेतु प्रस्तुत दस्तावेजात पर्याप्त एवं समुचित नहीं है तथा इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उदय प्रतापसिंह के जन्म प्रमाण पत्र में कोई स्कुल का प्रमाण पत्र आदि भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। केवल शस्त्र अनुज्ञा पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अतः निर्धारित तिथि को असेसी के दोनों पुत्र बालिग नहीं थे जिससे वे असेसी पर ही आश्रित थे जो अलग इकाई रखने के अधिकारी नहीं हैं। अतः यह निगरानी खारिज की जावे।

हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि निर्धारित तिथि 1.4.66 को असेसी मृतक महेन्द्र प्रतापसिंह के धारण में कुल 303 बीघा 4 बिस्वा भूमि थी। अधीनस्थ न्यायालयों ने असेसी के पुत्रों अजय प्रतापसिंह एवं उदय प्रतापसिंह को निर्धारित तिथि को बालिग होना साबित नहीं मानकर असेसी द्वारा एक इकाई के बराबर भूमि धारण की जाना मानते हुए असेसी के पास 112 बीघा 13 बिस्वा जो कि 27.920 एकड के बराबर होना मानकर अधिग्रहण करने का आदेश दिया है।

असेसी की ओर से अजय प्रतापसिंह की जन्म तिथि को प्रमाणित करने हेतु प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रधानाचार्य जनता इन्टर कालेज जेवर (गौतम बुद्व नगर) यू.पी. द्वारा जारी छात्र सम्बन्धी पंजी तथा पृथकीय प्रमाण पत्र पंजी संख्या 457 की प्रति प्रदर्श ए–1, नगर पंचायत, जेवर द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र प्रदर्श ए–2, भारतीय

जीवन बीमा निगम आगरा द्वारा जारी रशीद प्रदर्श ए–3 प्रस्तुत किये गये हैं, जिनमें अजय प्रतापसिंह की जन्म तिथि 1.1.46 दर्ज है। चूंकि दस्तावेज सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र हैं जिन्हें साक्ष्य में प्रदर्शित भी करवाये गये हैं। इन दस्तावेजो के खण्डन में ऐसी कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे इन दस्तावेजो पर अविश्वास किया जा सके। अधीनस्थ न्यायालयों ने इन दस्तावेजो को जन्म तिथि के प्रमाणिकरण के लिए मान्य नहीं है, मानते हुए निर्णय दिया है जो अनुचित है क्योंकि कालेज द्वारा जारी छात्र संबंधी पंजी तथा पृथकीय प्रमाण पत्र पर सप्रमाण खण्डन के अभाव में अविश्वास नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार इसके समर्थन में प्रस्तुत अन्य साक्ष्यों नगर पंचायत का जन्म प्रमाण पत्र एवं भारतीय जीवन बीमा निगम की रसीद आदि से इस बात को समर्थन मिलता है कि अजय प्रतापसिंह पुत्र महेन्द्र प्रतापसिंह की जन्म तिथि 1.1.46 है। इस प्रकार अजय प्रतापसिंह निर्धारित तिथि 1.4.66 को बालिग था। उपखण्ड अधिकारी ने यह भी माना है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार 21 वर्ष का व्यक्ति ही व्यस्क माना जावेगा, अनुचित एवं निराधार है। यह स्पष्ट है कि 18 वर्ष के व्यक्ति को व्यस्क माना गया है। वर्तमान प्रकरण में अजय प्रतापसिंह की जन्म तिथि 1.1.46 होने से वे निर्धारित तिथि 1.4.66 को लगभग 20 वष के थे एवं बालिग थे। ऐसी स्थिति में अजय प्रतापसिंह को असेसी महेन्द्र प्रतापसिंह पर आश्रित नहीं माना जा सकता।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1992 आर.आर.डी. पेज 107 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जागीरदारी के मामलों में सम्पति को पैतृक माना गया है एवं इसमें परिवार के सभी सदस्यों को कोपार्सनर माना गया है। ऐसी स्थिति में असेसी का पुत्र अजय प्रतापसिंह कोपार्सनर होने से विवादित भूमि में अपना शेयर रखता है एवं वह निर्धारित तिथि को बालिग होने से एक इकाई के बराबर भूमि रखने का अधिकारी है। ऐसी स्थिति में असेसी के पास दो इकाई के बराबर भूमि छोडी जाने पर सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं रहती है जिससे हम यह सीलिंग कार्यवाही समाप्त करना उचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह निगरानी स्वीकार की जाती है एवं भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर का निर्णय दिनलांक 14.7.2003 तथा उपखण्ड अधिकारी, धरियावद का निर्णय दिनांक 3.10.2002 निरस्त किये जाते हैं तथा यह सीलिंग कार्यवाही समाप्त की जाती है।
निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य